10-6-16

उक्त प्रकरण माननीय लोक अदालत -
माध्यम अधिवक्ता द्वारा लोक कोर्ट नोड के
पैनल हेतु आपसी राजीनामे के निवेदन पर
पारस्परिक सुनी गई। पीड़ित का प्रतिपक्ष स्वीकार
किया जाता है निर्णय हेतु अपने आज
सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सामिल
किया गया। तहसीलदार को पालना
हेतु तहसील भेजी है। पश्चात्
शुमार तैयार कर पत्रावली निस्तारित
की जाती है।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

Scanned by CamScanner